

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०संख्या-1जी०/ई०प्र०क०-30-13/2015- 1744

पटना, दिनांक- 1.9.15

आदेश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन कल्याण सेवा संवर्ग के निम्नलिखित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को अपर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक 3476 दिनांक 03.08.2015 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कंडिका-4 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन जिला/स्थान	स्थानांतरित जिला एवं स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार	जिला कल्याण कार्यालय, मधुबनी	जिला कल्याण कार्यालय, किशनगंज	
2	श्री पशुपति नाथ पांडेय	जिला कल्याण कार्यालय, मधुबनी	जिला कल्याण कार्यालय, किशनगंज	
3	श्री दीना नाथ सिंह	जिला कल्याण कार्यालय, किशनगंज	जिला कल्याण कार्यालय, वैशाली	पूर्व विभागीय आदेश सं० 1740 दिनांक 01.09.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए
4	श्री शिव शंकर झा	जिला कल्याण कार्यालय, किशनगंज	जिला कल्याण कार्यालय, बांका	पूर्व विभागीय आदेश सं० 1740 दिनांक 01.09.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए

2- सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे स्थानांतरित स्थान पर अविलम्ब योगदान समर्पित करें तथा इससे विभाग को भी अवगत करायें।

3- सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त स्थानांतरित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को पत्र प्राप्ति के साथ ही विरमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि स्थानांतरित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को माह, सितम्बर 2015 का वेतन नवपदस्थापित स्थान से प्राप्त हो सके।

५/९/१५
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1जी0/ई0प्र0क0स्था0-30-13/2015- 1744 पटना, दिनांक.....1.9.15
प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव/निदेशक/विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

05/9/15

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1जी0/ई0प्र0क0स्था0-30-13/2015- 1744 पटना, दिनांक.....1.9.15
प्रतिलिपि- संबंधित उपनिदेशक, कल्याण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला
कल्याण पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी/संबंधित विभागीय निगरानी
शाखा/आई0टी0मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि विभागीय निर्गत आदेश को शीघ्र
कार्यान्वयन हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

05/9/15

सरकार के विशेष सचिव।